स्रेंद्र पाल शिवबालकपाल

बनाम

ग्जरात राज्य

16 सितंबर, 2004

[के. जी. बालकृष्णन और डॉ. ए. आर. लक्ष्मणन, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860:

धारा 363, 376 और 302 -एक बच्चे का अपहरण किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। रात में आरोपी को अपने कंधों पर एक लड़की के साथ देखा गया था - अगले दिन सुबह लड़की का शव पाया गया, जो उसके साथ यौन उत्पीड़न का संकेत देता है - घटना से तुरंत पहले उसका आचरण और उसके कपड़ों की रासायनिक जांच से पता चलता है आरोपी द्वारा अपराध करने के संबंध में विचारण अदालत द्वारा दी गई सजा और मौत की सजा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, नीचे दी गई दोनों अदालतों ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की सराहना की और आरोपी को सही दोषी पाया-दोषसिद्धि की पुष्टि की गई, लेकिन सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया।

सज़ा/सजा-आरोपी को आईपीसी की धारा 363, 376 और 302 के तहत दोषी ठहराया गया-विचारण न्यायालय द्वारा लगाई गई मौत की सज़ा की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई-इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी पहले किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल था और न ही सामग्री से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है रिकॉर्ड पर है कि वह भविष्य में समाज के लिए खतरा होगा-अभियुक्त एक प्रवासी श्रमिक है और प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहा है, ऐसी परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता है कि यह एक दुर्लभतम मामला है जिसमें मौत की सजा की आवश्यकता है, मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 235(2)-सजा के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनना-याचिका करें अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए था न कि उसके द्वारा नियुक्त वकील के माध्यम से - माना गया, यदि अभियुक्त ने एक वकील नियुक्त किया था, तो अदालत सजा के सवाल पर वकील को सुन सकती है - तथ्यों के अलावा, आरोपी अदालत में मौजूद था और उसने ऐसा किया सजा के संबंध में कोई और बयान नहीं देना - उन्हें सजा के संबंध में सबूत पेश करने की भी आजादी थी लेकिन उन्होंने मौके का फायदा नहीं उठाया - यह तर्क कि सजा सुनाए जाने से पहले उनसे पूछताछ नहीं की गई, सही नहीं है

अलाउद्दीन मियां और अन्य, शरीफ मियां और अन्य बनाम बिहार राज्य, जे टी (1989) 2 एस. सी. 171, संदर्भित। आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 259/2004

सीआरएल सी.सी.नंबर 112003, सीआरएल ए नंबर 770 /2003 में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 19/21.11.2003 से।

दर्शन सिंह चावला (ए सी) अपीलार्थी के लिए।

मधुर वर्मा, सुश्री साधना संधू और सुश्री हेमंतिका वाही उत्तरदाता के लिए।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

सत्र न्यायालय ने अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363, 376 और 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी पाया। हत्या के अपराध में उसे फाँसी की सजा सुनाई गई। अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की और मृत्यु दंड की पुष्टि के संबंध में संदर्भ मामला भी था। अपील और संदर्भ को एक साथ सुना गया और गुजरात उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने सभी मामलों में अपीलकर्ता की सजा की पुष्टि की और धारा 302 आईपीसी के तहत अपराध के लिए अपीलकर्ता पर लगाए गए मौत की सजा की पुष्टि की गई थी। दोषसिद्धि और सजा से दुखी होकर यह अपील दायर की गई थी।

अपीलकर्ता सुरेंद्र पाल शिवबालकपाल शिकायतकर्ता कवलपति, एक विधवा जिसके तीन बच्चे हैं, के स्वामित्व वाली इमारत के एक कमरे में रह

रहा था। 11.9.2002 को रात लगभग 10 बजे अपीलकर्ता पीडब्लू-2 केवलपति के पास आया और 150 रुपये की पेशकश की और यौन संबंध के लिए सहायता मांगी। पीडब्लू-2 को ग्रसा आ गया और उसने उसे चले जाने के लिए कहा, लेकिन अपीलकर्ता ने जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। पीडब्लू-2 ने अपने भाई राजाराम और उसके बेटे मनोज को बताया कि अपीलकर्ता परेशान कर रहा था, उन्होंने आकर अपीलकर्ता को डांटा और वह वहां से चला गया। रात के समय पीडब्लू-2 अपनी दो नाबालिग बेटियों के साथ कमरे के बाहर पड़ी चारपाई पर सो रही थी। लगभग आधी रात को उसे ठंड महसूस ह्ई और वह अंदर चली गई और 1.00 बजे वह वापस आई और तब उसने देखा कि उसकी एक बेटी जिसका नाम सावित्री उर्फ संजू थी, लापता थी। उसने त्रंत अपने भाई राजाराम और अपने बेटे मनोज को ब्लाया जो उसी घर के दूसरे हिस्से में सो रहे थे। उन्होंने आस-पास के स्थानों पर संजू की तलाश की और चूंकि उन्हें अपीलकर्ता सुरेंद्रपाल पर संदेह था, इसलिए वे उसके घर में उसकी तलाश करने गए लेकिन अपीलकर्ता अपने कमरे में नहीं मिला। उन्होंने पीडब्लू-7 रामवरण से पूछताछ की। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपीलकर्ता स्रेंद्रपाल को अपने कंधे पर एक लड़की के साथ जाते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि लड़की अपीलकर्ता के रिश्तेदार फूलचंद की बेटी होगी। मोहल्ले के लोग एकत्र ह्ए और सुबह लगभग 4 बजे उन्होंने अपीलकर्ता को पास की सड़क से आते देखा। पीडब्लू-२ व अन्य उसे थाने ले गये। ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ खुलासे किए और पीडब्लू-2 ने एफआई बयान दिया और एफआई बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई।

सावित्री उर्फ संजू का शव जी.एल.डी.सी बिल्डिंग के पास एक तालाब से बरामद किया गया। शव पानी पर तैरता हुआ मिला और इसकी पहचान परिजनों ने की। शव की जांच की गई और पोस्टमार्टम से पता चला कि मृतक संजू के शरीर पर चोटों के कई निशान थे। कपड़े खून और कुछ मिट्टी के कणों से सने हुए थे। मृतक के गुप्तांगों पर जख्म का निशान था। हाइमन पूरी तरह से फट चुका था। डॉक्टर का मानना है कि पीड़िता की मौत दम घुटने से हुई होगी।

अभियोजन पक्ष की ओर से पीडब्लू-1 से पीडब्लू-19 तक का परीक्षण किया गया। अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता द्वारा की गई स्वीकारोक्ति के अनुसार शव की धारा 27 की बरामदगी और पीडब्लू-7 के साक्ष्य पर भी भरोसा किया, जिसने अपीलकर्ता को पिछली रात एक बच्चे के साथ घूमते हुए देखा था। घटना से ठीक पहले पिछली रात को अपीलकर्ता के आचरण पर भी सत्र न्यायालय ने उसे दोषी पाते हुए ध्यान दिया। सत्र न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता द्वारा पहने गए कपड़ों पर पाए खून के धब्बों के संबंध में सबूतों पर भरोसा किया।

हमने अपीलकर्ता के विद्वान वकील और प्रतिवादी के वकील को स्ना।

अपीलकर्ता के वकील ने हमारे सामने गंभीरता से आग्रह किया कि यह दिखाने के लिए कोई सब्त नहीं है कि अपीलकर्ता ने यह अपराध किया है। वकील ने गंभीरता से तर्क दिया कि मृतक संजू के शव की बरामदगी के संबंध में साक्ष्य अस्वीकार्य थे क्योंकि जिस स्थान पर शव पड़ा था, वह प्लिस के साथ-साथ उस समय वहां मौजूद अन्य लोगों को भी पता था। एफआई के बयान में उस स्थान के संबंध में उल्लेख किया गया है, जहां शव मिला था। अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए तर्क में कुछ दम है। एफआई का बयान कथित तौर पर 12.9.2002 को स्बह 6 बजे दिया गया था, यहां तक कि एफ आई के बयान में भी कहा गया है कि अपीलकर्ता को प्लिस स्टेशन लाया गया था और उसने बताया कि शव कहां पड़ा था। आरोप है कि बरामदगी उसी दिन स्बह 8.30 बजे की गई थी, लेकिन पूछताछ उसी दिन स्बह 7.30 बजे की गई बताई गई है। शव की बरामदगी और शव की जांच के संबंध में अभियोजन पक्ष के साक्ष्यों में विसंगति है, पीडब्लू-19 जांच अधिकारी जांच में इस कमजोरी पर ज्यादा प्रकाश नहीं डाल सके। इसलिए, हम अपीलकर्ता के कहने पर शव की कथित बरामदगी को महत्व नहीं देते हैं।

इसके अलावा, यह दिखाने के लिए पुख्ता सबूत हैं कि अपीलकर्ता ने अपराध किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस स्टेशन लाया गया। उसके कपड़े अर्थात. पैंट, शर्ट और अन्य कपड़ों को बरामद कर रासायनिक जांच के लिए भेजा गया। आइटम एफजीएच और आई क्रमशः शर्ट, बिनयान ,पैंट और अंडरिवयर हैं। ये सभी घटना के समय अपीलकर्ता द्वारा पहने गए कपड़े थे। रासायनिक विश्लेषक रिपोर्ट से पता चलता है कि आइटम एफ, जी और एच पर खून के धब्बे मौजूद थे और आइटम आई पर वीर्य के साथ खून के धब्बे भी मिले हुए थे। अपीलकर्ता अपने कपड़ों पर खून के धब्बों की उपस्थित के लिए कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं दे सका। जब उसका ध्यान इन आपत्तिजनक परिस्थितियों की ओर आकर्षित किया गया तो उसने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

एक अन्य परिस्थिति पीडब्लू-7 रामबरन का साक्ष्य है। उसने आरोप लगाया कि 11.9.2002 की रात को वह कुछ देर टीवी देखने के बाद इयूटी से लौटा और रात का खाना खाने के बाद बिस्तर पर चला गया और लगभग 1 बजे वह प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए उठा और बाहर स्थित स्नानघर में आया। उसके घर, तभी उसने अपीलकर्ता को घूमते हुए पाया और उसके कंधे पर एक बच्चा था। अगले दिन, पीडब्लू-2 और अन्य लोगों ने मृतक संजू के बारे में पूछताछ शुरू की। उसने यह बात अपनी पत्नी जो कि पीडब्लू-4 है, को बताई। एफआई के बयान में भी रामबरन द्वारा दिए गए बयान का संदर्भ दिया गया है, बेशक पीडब्लू-7 ने यह पहचान नहीं की थी कि लड़की मृतक संजू थी, फिर भी, यह एक गंभीर आपत्तिजनक परिस्थिति है और अपीलकर्ता एक अविवाहित पुरुष है, वह नहीं हो सकता था उस रात एक लड़की के साथ पाया गया और यह परिस्थिति

स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि अपीलकर्ता ने इस अपराध को अंजाम देने के लिए रात के दौरान बच्चे का अपहरण कर लिया था।

मृतक संज् का शव 12.9.2002 की सुबह पाया गया था और अपीलकर्ता को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था और पिछला आचरण भी हालांकि साक्ष्य में सख्ती से स्वीकार्य नहीं था, यह साबित करेगा कि अपीलकर्ता इस तरह के अपराध करने के लिए प्रवृत्त था। सत्र न्यायाधीश और उच्च न्यायालय ने सही परिप्रेक्ष्य में साक्ष्य की सराहना की और अपीलकर्ता को दोषी पाया और हमें इस निष्कर्ष पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं मिला।

अपीलकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि इस मामले में, मृत्युदंड की सजा सुनाए जाने से पहले अपीलकर्ता को नहीं सुना गया था। आग्रह किया गया है कि सीआरपीसी की धारा 235(2) के तहत सत्र न्यायाधीश को आरोपी की सजा के सवाल पर सुनवाई करनी चाहिए थी। अपीलकर्ता वकील का तर्क सही नहीं है। अपीलकर्ता ने अलाउद्दीन मियां एवं अन्य शरीफ मियां एवं अन्य बनाम बिहार राज्य जेटी (1989) 2 एससी 171 मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भी भरोसा जताया, जहां इस न्यायालय ने सजा सुनाए जाने से पहले आरोपी से पूछताछ के महत्व पर जोर दिया था। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को आईपीसी की धारा 363, 376 और 302 के तहत दोषी पाया गया और 19.6.2003 को फैसला सुनाया गया और सजा के सवाल पर आरोपी की स्नवाई के लिए मामले को अगले दिन के लिए

स्थिगित कर दिया गया और सजा के सवाल पर विस्तृत रूप से विचार किया गया और सजा का आदेश 20.6.2003 को सुनाया गया। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता और उसके वकील उपस्थित थे और सत्र न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 44 में, यह उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वकील श्री वी.टी. आचार्य ने प्रस्तुत किया कि यह पहला मामला है जिसमें आरोपी शामिल है और शिकायतकर्ता और आरोपी के बीच मकान मालिक और किरायेदार का रिश्ता था और अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि अपीलकर्ता के खिलाफ अपराध का आरोप लगाया गया था क्योंकि उपर से पानी फेंकने को लेकर झगड़ा हुआ था और आरोपी एक गरीब व्यक्ति था। यह 'दुर्लभतम मामले' की श्रेणी में नहीं आता है, जिसके लिए न्यूनतम सजा दी जा सकती है।

इसके बाद पैराग्राफ 45 है, सत्र न्यायालय ने विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार किया और मौत की सजा दी।

इसिलए यह तर्क देना गलत है कि अपीलकर्ता को नहीं सुना गया था। वकील ने कहा कि जहां तक सजा का सवाल है, अपीलकर्ता को व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए था, न कि उसके द्वारा नियुक्त वकील के माध्यम से। इस विवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता. यदि अभियुक्त ने किसी वकील को नियुक्त किया है तो अदालत वकील से पूछ सकती है कि क्या उसे सज़ा के बारे में कुछ कहना है। अपीलकर्ता भी अदालत में मौजूद था और उसने उसे दी जाने वाली सजा के संबंध में कोई और बयान नहीं दिया। उन्हें सजा के संबंध में सबूत पेश करने की भी स्वतंत्रता थी लेकिन उन्होंने उस अवसर का लाभ नहीं उठाया और यह तर्क कि सजा सुनाए जाने से पहले अपीलकर्ता से पूछताछ नहीं की गई थी, सही नहीं है।

अगला प्रश्न जो विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या यह 'दुर्लभतम मामला' है, हमें नहीं लगता कि यह 'दुर्लभतम मामला' है जिसमें अपीलकर्ता पर मृत्युदंड लगाया जाना चाहिए। घटना के समय अपीलकर्ता की उम 36 वर्ष थी और इस बात का कोई सबूत नहीं है कि अपीलकर्ता पहले किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल था और अपीलकर्ता यूपी का एक प्रवासी श्रमिक था और प्रतिकूल परिस्थितियों में रह रहा था और यह नहीं कहा जा सकता है कि वह यह भविष्य में समाज के लिए खतरा होगा और इस तरह का निष्कर्ष निकालने के लिए हमारे सामने कोई सामग्री नहीं रखी गई है। हमें नहीं लगता कि इस मामले में मौत की सज़ा उचित थी। हम सभी मामलों में अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं, लेकिन आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए उस पर लगाई गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है।

तदनुसार अपील का निपटारा किया जाता है।

आर पी

अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।